

**कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।**पत्रांक 4413 / 12-102) दिनांक, 25/05/2022 ::
सेवा में

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण, निगम

रुद्रप्रयाग।

विषय:- तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.234 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.-FP/UK/WATER/42100/2019**

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.05.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षणोपरान्त प्रकरण के चयनित संरेखण की वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली तथा परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई के०एम०एल० फाईल का ऑनलाईन अवलोकन करने पर अत्यधिक भिन्नता पाई गई।

1. प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड रौड्यूल एवं बारचार्ट तथा लम्बाई चौड़ाई प्रमाण पत्र में आरक्षित वन केवल नरसिंग क०सं०-3 के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली भूमि का क्षेत्रफल 0.274 है० एवं लम्बाई 450 मीटर तथा वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल 0.96 है० एवं लम्बाई 15030 मीटर दर्शाई गई है और सिविल व नाप भूमि नहीं दर्शाई गई है, जबकि के०एम०एल० फाईल में आरक्षित वन लौंगा-21, जाखणी-4, 6अ, 6ब, नरसिंग-2, 3 एवं जाखाल क०सं०-8 व 11 प्रभावित हो रहे हैं।
2. के०एम०एल० फाईल का ऑनलाईन परीक्षण करने पर निम्न प्रकार अलग-अलग रंगों से सम्पूर्ण परियोजना की लम्बाई दर्शाई गई है-

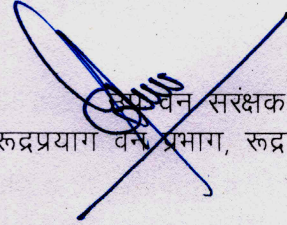
के०एम०एल० के अनुसार विभिन्न रंगों में दर्शाई गई लाईनों का विवरण			
लाल रंग	लम्बाई (किमी०)	हरे रंग	लम्बाई (किमी०)
Supply main 1	29.70	distribution line 1	0.54
Supply main 2	1.16	distribution line 2	0.39
Supply main 3	3.53	distribution line 3	0.86
		distribution line 4	0.41
		distribution line 5	1.44
		distribution line 6	0.14
Total	34.39		3.78
S. Total	34.39 + 3.78 = 38.17 km.		

3. प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कुल प्रभावित 1.234 है० वन पंचायत एवं आरक्षित वन भूमि दर्शाई गई है, जबकि के०एम०एल० फाईल में कतिपय स्थलों पर नाप भूमि प्रभावित हो रही है तथा चयनित भूमि पर कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। स्थिति स्पष्ट करें कि क्या वास्तव में सम्पूर्ण परियोजना के निर्माण में नाप भूमि तथा सिविल भूमि प्रभावित नहीं हो रही है?

(2)

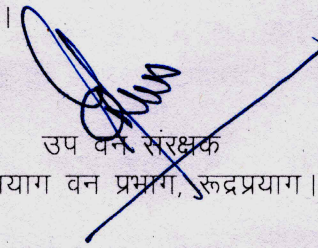
अतः उक्त प्रकरण के संबंध में स्पष्ट कराये कि आप द्वारा प्रेषित किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न संबंधित प्रमाण पत्र वास्तविक रूप से सही हैं या ऑनलाईन अपलोड की गई के0एम0एल0 फाईल सही है। उक्त भिन्नता को दूर करने हेतु चयनित संरेखण का संबंधित वन क्षेत्राधिकारी से सम्पर्क कर पुनः संयुक्त निरीक्षण करवाकर परियोजना की वास्तविक लम्बाई के अनुसार ही संबंधित समस्त प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाईल प्रेषित करें, तत्पश्चात् प्रकरण में इस स्तर से कार्यवाही की जानी संभव होगी।

भवदीय


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 4413 /दिनांकित।

प्रतिलिपि :- वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि रेंज को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि के पुनः संयुक्त निरीक्षण कार्य हेतु सहयोग प्रदान कर सूचना/रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।